



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास ! INSURANCE REGULATORY AND indai DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुसूची 1 - फॉर्म एल (विनियम 14(8) देखें)

(बीमा दलाल) विनियम, 2018 (Insurance Brokers) Regulations, 2018

Schedule I - Form L (See Regulation 14(8))

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

٠. ر	
पंजीकरण संख्या Registration No.: <u>१८८</u>	
1.	मेसर्स प्रोस्ट हंश्योरेंग क्रीन्स्म पा. लि. क्षेण प्रत्यक्व (जीवन रुवं सार्थारण)
	दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938
	(1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।
	The Certificate of Registration of M/s. Prost Insurance Brokers Pvt. Ud. Category Direct (Life 4 Genual) Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
	हैदराबाद में
2.	Ecticale 4
	Issued at Hyderabad on 20th day of July Two Thousand Two Thousand
3.	यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 22: ७७: २०२५ से २१: ७७: २०२७ तक विधिमान्य होगा।
	This Certificate of Registration shall be valid from 22:07:2094 to 21:07:0027
4.	यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,
	1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों,
	परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।
	This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act,
	1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines,
	Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.
	आदेशानुसार
	By Order
	ESTAPLIAN & / Hydresod
20/12	दिनांक Date: २०.०७ २०२५ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से For Insurance Regulatory and Development Authority of India